FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
1/1/2021	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 82/2020 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी बनाम जगदीश अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम तहसीलदार लूणी के पत्राक/भूअ/2020/4500 दिनाक 25.02.2020 के द्वारा प्रार्थी जगदीश पुत्र लालाराम निवासी सालावास के ग्राम सालावास खसरा नम्बर 101/3 रकबा 38.07 बीघा की हल्का पटवारी की मौका फर्द मय डीआईएलआरएमपी के तहत तरमीम करने का प्रस्ताव मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुआ। इस कार्यालय के पत्राक/कोर्ट/2020/53 दिनाक 27.05.2020 के द्वारा तहसीलदार लूणी को निम्नांकित कमी पूर्ति कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया। परन्तु बिना कमी पूर्ति किये उक्त पुनः इस कार्यालय को दिनाक 05.06.2020 को प्रेषित कर दिया गया। तत्पश्चात् प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार लूणी द्वारा जगदीश निवासी सालावास प्रार्थना पत्र बाबत् डीआईएलआरएमपी के तहत जमाबन्दी मे मौजूद खसरो को राजस्व नक्शे मे दर्ज खसरो से वन टू वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरों मे रेकर्ड, मौका व नक्शे मे भिन्नता आ रही है, तथा किसी सरकारी खसरे से खातेदार को अलग–अलग रकबे के खसरे आवटन/नियमन किये गये थे। जिनका नामान्तरनकरण पुश्त पर नजरी नक्शा व आवंटन सम्बन्धित दस्तावेज इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे खसरों की तरमीम करना सम्भव नही है। इस तरह से मूल खसरे से अलग–अलग खसरो मे विभाजन के लिए ग्राम सालावास के खसरा संख्या 101/3 रकबा 38.07 बीघा, किस्म बारानी तृतीय, से खसरा संख्या 101/26 रकबा 6.08 बीघा, खसरा संख्या 101/27 रकबा 5.19 बीघा, खसरा संख्या 101/28 रकबा 3.05 बीघा एव 101/3 रकबा 22.3 बीघा	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 38.07 बीघा प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश का निवेदन किया गया। नामान्तरणकरण संख्या 365 के कॉलम संख्या 12 में भी अलग–अलग खसरा नम्बर इन्द्राज है। परन्तु उक्त नामांतरण की पुश्त पर भी उक्त खसरो के अलग–अलग होने का नजरी नक्शा अंकित नहीं है। हल्का पटवारी की दिनांक 20.02.2020 की मौका फर्द में भी उक्त खसरों का नजरी नक्शा अंकित किया गया। नामान्तरणकरण संख्या 365 के कॉलम नम्बर 12 में इन्द्राज मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.2020 के आधार पर रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार लूणी को रेकर्ड मे नियमानुसार दुरूस्ती करने हेतु तहरीर जारी हो। आदेश सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner